E-ISSN: 2664-603X
P-ISSN: 2664-6021
IJPSG 2022; 4(1): 20-22
www.journalofpoliticalscience.com
Received: 08-11-2021
Accepted: 13-12-2021

प्रदीप कुमार
PGT राजनीति विज्ञान, GSSS कंवाली, रेवाडी, हरियाणा, भारत

Corresponding Author:
प्रदीप कुमार
PGT राजनीति विज्ञान, GSSS कंवाली, रेवाडी, हरियाणा, भारत

नगरिकता संशोधन कानून 2019–पृष्ठभूमि, विरोध एवं वास्तविकता

प्रदीप कुमार

सारांश
देश को उसका सबसे पवित्र ग्रन्थ अर्थात ''संविधान'' को समर्पित करते हुए उसके निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि यह एक ऐसी किताब है जो युद्धकाल में भी देश की रक्षा करेगी और शान्ति काल के लिए प्रासंगिक होगी। सात दशक हो गए देश में संविधान को लागू हुए। बडी – बडी संवैधानिक जटिलताएं खडी हुई। लोकतान्त्रिक मूल्य संकट में नजर आए। प्राकृतिक आपदाएं आई। पडौसी देशों से जंग हुई। आपातकाल का काला अध्याय भी देखा। मगर सविंधान अक्षुण्ण रहा। अपने नियमों – उपबन्धों के कवच से देश को हर प्रतिकूल हालात से उबारता रहा। कोई भी सरकार कितने ही प्रचण्ड बहुमत से क्यों न आई हो, मजाल की उसने इसके मूल स्वरूप या आत्मा से छेडछाड करने की जुर्रत की हो। हर बीते दिन के साथ यह किताब लोकतन्त्र को और मजबूत करने के साथ पुष्पित – पल्लवित करती रही। किसी से विवाद होने की स्थिति में आज भी हम उसे ''कोर्ट'' में देख लेने की बात कहते हैं। ये वही कोर्ट है जो हर चीज का संवैधानिक दायरा तय करता है। उसके हर फैसले में आधार संविधान ही होता है। हाल ही में देश में एक विमर्श तेजी से उभर रहा है कि सरकार अनुच्छेद 370, 35A, तीन तलाक व हाल ही में CAA (नागरिकता संसोधन कानून) लाकर संविधान की मूल आत्मा से छेडछाड कर रही है। उसके स्वरूप को खत्म कर रही है। न्यायपालिका इन आरोपों के संविधान सम्मत होने या न होने को तय करने के लिए बैठी है। हम भारत के नागरिक हैं। हमें अपने संविधान पर पूरा भरोसा है। उससे छेडछाड किए जाने की कोई आशंका हमारे मन में नहीं उपज सकती। क्योंकि पिछले 70 साल से हम सविंधान को जीते आए हैं और हर उस आशंका को उसने निर्मूल साबित किया है जो हम लोंगो के दिलोदिमाग में बसने को आतुर थी। ऐसे में जब भारत अपना 71 वाँ गणतन्त्र दिवस मना रहा हो तो भारतीय संविधान की पवित्रता और देश को विविधता के साथ एकता के सूत्र में जोडे रखने वाले उसके महात्म्य की पडताल आज बडा मुद्दा है।

मूल शब्दः लोकतान्त्रिक मूल्य, द्विराष्ट्र, अल्पसंख्यक, मानवाधिकार, मजहबी, मतावलम्बी, महात्म्य

प्रस्तावना
जैसा कि हम जानते हैं भारत एक प्राचीन देश है। विश्व की प्राचीनतम सभ्यता मिश्र, रोमन, युनान, मैसोपोटामिया कि तरह यहाँ भी सिन्धु एवं हडप्पा की सभ्यता थी। अनेक विदेशी आक्रान्ताओं के हमलों के बावजूद भी आज भारत विश्व समुदाय में अपना परचम लहरा रहा है। विभिन्नताओं, विविधताओं और विभिन्न मतावलम्बियों का देश होने के कारण अति भयंकर झंझावतों से सकुशल निकलना इसे आता है। 1857 के विद्रोह में हिन्दु – मुसलमान मिलकर विदेशी आक्रान्ताओं से लडे। बाद के वर्षों में समान उद्देश्य के लिए लडते हुए भी दोनों के मध्य मतभेद उभरने लगे। अंग्रेजों की कूटनीति और ''फूट डालो राज करो'' की नीति ने इसमें आग का कार्य किया और अन्ततः स्वतन्त्रता की खुशी के साथ – साथ हमें विभाजन की त्रासदी भी मिली। विभाजन की विभीषिका हिंसा और रक्तपात लेकर आयी। लाखों लोगों को हिंसा और विस्थापन का सामना करना पडा। बडी संख्या में लोगों का पलायन हुआ। एक सीमित समय में हुआ यह विस्थापन बहुत भयानक था। इससे भी बुरा उन लोगों के साथ हुआ जो उस निर्धारित अवधि में विभिन्न कारणों से विस्थापित नहीं हुए। पाकिस्तान एक कडवी सच्चाई के रूप में सामने था। तत्कालीन अवधि में कांग्रेस एक मुख्य पार्टी थी उसने स्वतन्त्रता संग्राम के पावन यज्ञ में बढ चढ कर भाग लिया था। स्पष्ट रूप से वह आजादी के पश्चात देश की प्रमुख पार्टी थी तथा सत्ता की स्वाभाविक उत्तराधिकारी थी। उसे देश के विशाल जनमानस व प्रायः सभी वर्गों, का समर्थन हासिल था तथा इसी के आधार पर वह देश के भविष्य से जुडे तमाम फैसले कर रही थी। इन्ही फैसलों में सबसे विवादास्पद बंटवारे का निर्णय स्वीकार करना भी शामिल था जो जिन्ना की जिद व कथित ''द्विराष्ट्र'' के सिद्धान्त पर आधारित था। यद्यपि कांग्रेस द्वारा विभाजन को स्वीकार करने के इस निर्णय की देश का एक बडा तबका (वर्ग) आलोचना भी कर रहा था। अर्थात देश पूर्ण रूप से इस निर्णय से सहमत नहीं था। यहाँ तक कि महात्मा गान्धी भी इससे मन से सहमत नहीं थे।

तत्कालीन परिस्थितियों का विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे की आजादी की संभावना व जोश तत्कालीन कांग्रेस के अधिकांश नेता आरम्भ से पाकिस्तान निर्माण की जिन्ना की मांग को गम्भीरता से नहीं ले रहे थे। शायद वे सोच रहे थे कि यह माँग अल्पकाल है तथा धीरे – धीरे स्थिति सामान्य हो जाएगी। उनका मानना था कि पाकिस्तान का निर्माण कोरी कल्पना है तथा जिन्ना का दिवास्वपन है जिससे यह अपनी कौम में अपनी सार्थकता सिद्ध करना चाहते हैं। लेकिन हुआ विपरित न सिर्फ पाकिस्तान बना बल्कि बडे पैमाने पर इंसानियत रक्तरंजित हुई। पाकिस्तान बनने के बाद भी अधिकांश कांग्रेसी नेताओं का मानना था कि पाकिस्तान का अस्तित्व लम्बे समय तक नहीं रहेगा। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया का मानना था कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक साझा व्यवस्था में लाना चाहिए। पाकिस्तान निर्माण के साथ ही साबित हुआ कि भ्रम में जिन्ना नहीं बल्कि भारतीय नेतृत्व था तथा वे कहीं ना कहीं स्थिति को समझने में भूल कर बैठे। परिणाम सामने था देश का विभाजन हुआ और वह भी धार्मिक आधार पर। धर्म के आधार पर इतना बडा विस्थापन शायद ही विश्व में कहीं हुआ हो।

विभाजन के पश्चात एक और चिर स्थायी, शान्तिप्रिय, अहिंसावादी, सहिष्णुता व भाईचारे व विश्वास का प्रतीक भारत था तो दूसरी और पाकिस्तान रूपी ऐसा भवन बन रहा था जिसकी नींव ही हिंसा और घृणा से भरी गई थी जिसके निर्माण हेतू जिन्ना को 'प्रत्यक्ष कार्यवाही' जैसी भयानक गतिविधि का सहारा लेना पडा था। भले ही हमारी नजर में पाकिस्तान का निर्माण अनैतिक व अवैध हो परन्तु जिन्ना अपने सपनों का पाकिस्तान पाकर वहां के अल्पसँख्यकों (हिन्दू, सिक्ख, इसाई, बोध आदि) को सुरक्षा व समानता का विश्वास दिला रहे थे तो दूसरी और इन लोगों ने अपने पडोसियों के साथ पीढियों पुराने रिश्ते पर भरोसा किया या कह सकते हैं कि उस असुरक्षित माहौल में विस्थापन का खतरा उठाने से बचने में ही भलाई समझी और खुद को भाग्य के भरोसे छोड दिया। अन्ततः उन्हे निराशा ही हाथ लगी। जल्द ही उनकी आस्थाओं पर हमले होने लगे उनकी धार्मिक स्वतन्त्रता का हनन होने लगा। शीघ्र ही इन अल्पसंख्यकों को यह आभास हो गया कि पाकिस्तान में उनके हित सुरक्षित नहीं हैं।

वास्तव में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तीनों ही घोषित रूप से इस्लामिक राष्ट्र हैं। इस कारण वहां दूसरे धर्मों के लोगों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है। वहां गैर मुस्लिमों को हेय दृष्टि से देखा जाता है। दरअसल विभाजन के समय से ही इन देशों में हिन्दुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर तरह – तरह के जुल्म किए गए। तब मजबूरन उनके समक्ष दो ही विकल्प रह गए या तो धर्मांतरण या वहां से भागकर कहीं शरण लेना। उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान में आज 1947 की तुलना में हिन्दुओं की संख्या 10 प्रतिशत भी नहीं बची है। शेष 90 प्रतिशत हिन्दू या तो जबरदस्ती मतान्तर कर लिए गए या मार दिए गए अथवा पलायन करने के लिए विवश हुए। यही स्थिति ईसाई, सिख और बौद्ध समुदायों की भी हुई। बांग्लादेश के निर्माण के बाद यह उम्मीद जगी थी कि कम से कम वहां पर हिन्दुओं पर होने वाले दमन पर लगाम लगेगी लेकिन जल्दी ही उसने भी अपने – आप को इस्लामिक देश घोषित कर दिया और एक बार फिर दमन चक्र चालू हो गया। आंकडों की नजर से देखें तो 1940 के दशक के आसपास अविभाजित पाकिस्तान में हिन्दुओं की जो आबादी 24 प्रतिशत थी वह 1.7 प्रतिशत रह गई। इसी तरह अतीत में पूर्वी पाकिस्तान रहे बांग्लादेश में भी इसी कालावधि में हिन्दुओं की आबादी 30 प्रतिशत से घटकर 7 प्रतिशत रह गई। इसी तथ्य से वह जवाब निहित है कि CAA के तहत प्रताडित अल्पसंख्यकों की सूची से मुस्लिमों को क्यों बाहर रखा गया है। अव्वल तो वे 'अल्पसंख्यक' नहीं दूसरी बात यह कहना ही हास्यास्पद ही है कि इस्लामिक देश में मुस्लिमों का 'उत्पीडन' हो रहा है। इसी प्रकार अफगानिस्तान में 1970 के दशक में अफगान हिन्दुओं सिखों की संख्या लगभग 7 लाख थी जो 1990 में गृहयुद्ध के बाद निरन्तर घटती हुई आज केवल 3000 तक सीमित है।

इन देशों में 'काफिर' अल्पसंख्यकों की दयनीय स्थिति का मुख्य कारण उनकी धार्मिक आस्था है। मजहबी उत्पीडन के चलते जब उनके लिए इन देशों में जीना असम्भव हो गया तो उन्हे धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य होना पडा अथवा वे बचने के लिए अन्य देशों में पलायन के लिए मजबूर हुए। भारत ऐसे लोगों का स्वाभाविक गन्तव्य था क्योंकि ये लोग मूल रूप से पहले भारत का ही हिस्सा थे तथा उनकी सांस्कृतिक जडें इस देश से जुडी थी।

विभाजन के बाद बडी संख्या में हिन्दू शरणार्थी बन भारत की तरफ आए और बड़ी संख्या में भारत से मुस्लिम पाकिस्तान की तरफ गए अर्थात दोनों देशों ने इन शरणार्थियों को बसाने की व्यवस्था की। उस समय से किसी दल या नेता को इन शरणार्थियों से कोई आपत्ति नहीं थी। उस समय महात्मा गान्धी ने कहा था, ''एक ही भारत के अब दो टुकड़े हुए हैं भारत में आए हुए लोगों को नागरिकता देना हमारा कर्तव्य है''। कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं में सभी प्रमुख नेता इस बात पर सहमत थे कि भारत को इन शरणार्थियों के पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए। इन नेताओं में पंडित नेहरू व सरदार पटेल भी शामिल थे। यही कारण है कि इन देशों के अल्पसंख्यकों के प्रति भारत का उदार रहा है। इसलिए भारत ने हमेशा हिन्दू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई तथा पारसी धर्म के शरणार्थियों को नागरिकता देने की नीति का पालन किया है। इसी प्रकार का कानून 2003 में वाजपेयी सरकार ने बनाने की पहल कि थी तथा स्पष्ट किया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो हिन्दू शरणार्थी आएंगे उन्हे नागरिकता दी जाएगी। आज जो दल इस अधिनियम का विराध कर रहे हैं उनमे से अनेक दल उस समय इस पहल का समर्थन कर रहे थे। इतना ही नहीं वर्ष 2004 और 2005 में कांग्रेस की अगुवाई वाली UPA सरकार ने संसद में इसी बिल को पारित करके उसकी समयावधि 1–1 साल के लिए दो बार बढायी। उस समय ये पार्टियाँ जो आज विरोध कर रही हैं वे सभी उस UPA सरकार का हिस्सा थी। चाहें वे कम्युनिस्ट पार्टियाँ हों या तृणमूल कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या कोई अन्य दल वे उस समय मौन साधे हुए थे। इतना ही नहीं 2003 के उस कानून में तो पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले केवल एक धर्म अर्थात हिन्दूओं का ही प्रावधान था जबकि वर्तमान CAA (नागरिकता संसोधन कानून 2019) में इसके दायरे को बढाते हुए हिन्दुओं के साथ सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी धर्म को भी इसमें शामिल किया गया। अर्थात ये माना गया कि ये धर्म भी इन देशों में प्रताड़ना के शिकार हैं। ऐसे हिन्दू, सिख, ईसाई, पारसी तथा बौद्ध धर्म के शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान इस कानून में है।

नागरिकता संसोधन कानून 2019 में किसी को भी नागरिकता से वंचित करने का कोई प्रावधान ही नहीं है। न ही किसी नागरिक को बाहर किए जाने की कोई व्यवस्था ह ै ना ही भारतीय नागरिकता ग्रहण करने पर कोई रोक लगायी गयी है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का पुराना नियम भी यथावत ही रहेगा अर्थात कुछ निश्चित शर्तों व प्रक्रियाओं को पूरा कर कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। हाँ इतना अवश्य है कि इस नए कानून में इन देशों के प्रताड़ित समुदायों के प्रति कुछ नरमी दर्शायी गयी है कुछ रियायतें दी गयी हैं। या यूं कह सकते हैं कि प्रक्रिया को कुछ सरल बनाया गया है जैसे कि पहले ऐसे लोगों को नागरिकता पाने के लिए निरन्तर 11 वर्षों तक भारत में निवास करने की शर्त थी जिसे घटाकर अब 7 वर्ष किया गया है। यह ढील इन्हें इसलिए दी गयी है क्योंकि जिन परिस्थितियों में यह लोग रहते हैं या जान बचाकर किसी प्रकार भारत में आते हैं या शरण लेते हैं उस स्थिति में इनसे सभी दस्तावेज मागँना या पूरे करने की आशा करना उचित प्रतित नहीं होता।

भारत में प्रवेश करने के उपरान्त भी ऐसे लोग प्रायः छुप कर रहते हैं या नियम विरूद्ध यहाँ शरण लिए रहते हैं क्योंकि ये लोग वापिस जाना नहीं चाहते और इस प्रकार इनका यहाँ खूब शोषण होता है। यहाँ इन्हें मूलभूत सुविधाएं, स्कूल, शिक्षा, निवास, भोजन, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि के लिए काफी जदोजहद करनी पड़ती है। कहा जा सकता है कि ये मूलभूत मानवाधिकारों से भी वंचित हो जाने को मजबूर हैं। भारत की नागरिकता पाने को ये प्रताड़ित लोग 11 वर्ष तक कठोर यातनाएं व कष्ट उठाने को भी तैयार नजर आते हैं। कहा जा सकता है कि मानवीय सरोकारों हेतू तरस रहे इन वक्त के मारों को इस नए कानून द्वारा कुछ रियायत देने का प्रयास किया गया है। यह आवश्यक नहीं कि इन रियायतों का लाभ उठाने हेतू सभी अल्पसंख्यक भारत चले आएंगे। काफी लोग जो वर्षों से भारत में रह रहे हैं और नागरिक अधिकारों के अभाव में पहचान छिपा कर रहने और नारकीय जीवन जीने के लिए विवश हैं। बहुत से लोग लम्बे समय से यहाँ रह रहे हैं तथा तमाम सुविधाओं से वंचित होने के बावजूद भी इस बात से सन्तुष्ट हैं कि वे अपने पुरखों – पूर्वजों की धरती पर जीवन यापन कर रहे हैं तथा अपने समाज के बीच रह रहे हैं। नागरिकता संसोधन कानून (CAA 2019) ऐसे लोगों को नागरिक अधिकार सुनिश्चित करने तथा आत्मसम्मान व गौरव के साथ जीने का अवसर देता है। यह पिछले 72 वर्षों में इन लोगों के साथ हुए अन्याय, विश्वासघात और यातनाओं पर मरहम लगाने का कार्य करता है।

नगरिकता संसोधन अधिनियम 2019 को लेकर भ्रम फैलाया गया है। मुस्लिम समाज को यह डर दिखाया गया है कि यह अधिनियम उनकी नागरिकता छीन लगा, उन्हे देश से बाहर निकला जाएगा, उन्हे अपनी नागरिकता साबित करनी पडेगी तथा ऐसा न कर पाने पर उन्हें देश से निकाल बाहर किया जाएगा। चूंकि मुस्लिम समाज में निरक्षरता अधिक है तो स्वाभाविक रूप से उन्होने शीघ्र ही इन बातो को सच मान लिया। राजनैतिक दलों ने इस बिल का विरोध संसद में तथा अधिनियम बनने पर संसद के बाहर भी विरोध किया। इस दौरान किए गए दुष्प्रचार का ही परिणाम है कि आन्दोलन कुछ स्थानों पर हिंसक हो गया। इस तरह कि हिंसा का समर्थन करना किसी भी लोकतान्त्रिक देश के लिए अशुभ संकेत ही है। भारत के कुछ राज्यों जैसे उत्तरप्रदेश, बिहार व दिल्ली में प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया। सरकारी सम्पत्ति व जान–माल का भारी नुकसान हुआ। नागरिकता संसोधन कानून को लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक सूचनाएँ फैलायी गयी। एक खास वर्ग को डराने, सशंकित करने, भविष्य खतरे मे होने, प्रताडित करने सम्बन्धी भ्रामक खबरें फैलायी गयी। कुछ विश्वविधायल व संस्थानों को इन गतिविधियों का केन्द्र बनाया गया। लगभग सभी विपक्षी दलों ने अराजक तत्वों को सही ठहराया, उनके अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता व विराध का अधिकार जैसी बातें करके हिंसा, अराजकता, तोड – फोड का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर दिया। किसी विराधी दल ने इन कृत्यों की निंदा नहीं की।

यह बिल दशकों पुरानी गलतियों को सुधारने या ठीक करने का एक प्रयास है इस बिल को कानूनी या राजनैतिक नजर से न देखकर इंसानियत की नजर से देखना चाहिए। यह अधिनियम उन अल्पसंख्यकों का एक अधूरा सपना है जो विभाजन के वक्त इस मुगालते के चलते पाकिस्तान में रह गए थे कि पाकिस्तान भले ही एक इस्लामिक मुल्क हो, लेकिन उसका संस्थापक यानी जिन्ना एक खुले और उदार विचारों वाला मुसलमान है। सी ए ए एक तरह से उस वचन की पूर्ति है जो महात्मा गान्धी

और जवाहर लाल नेहरू ने पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान में रह गए अल्पसंख्यकों को दिया था कि यदि आपको कभी अपने फैसले पर पछतावा हो तो भारत के दरवाजे आपके लिए खुले रहेंगे। इसी वचन को वर्ष 2003 में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मनमोहन सिहँ ने दोहराया भी था। यह भी ध्यान रहे कि 1951 में नेहरू – लियाकत समझौते के तहत दोनो राष्ट्रों में अपने – अपने देशों में मजहबी अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संरक्षण देने की प्रतिबद्धता जताई थी। पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो के वक्त तक अल्पसंख्यकों को कुछ हद तक अधिकार मिले, लेकिन जनरल जिया उल हक का दौर आते – आते वहाँ वहाबी सोच हावी होने लगी थी। तब संगठित रूप से अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न होने लगा। इसका सबसे ज्यादा असर अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों पर पड़ा। उन्हे अगवा करना, जबरन धर्म परिवर्तन करना और फिर उनसे निकाह करना एक दस्तूर सा बन गया। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना, लेकिन जल्द ही जनरल इरशाद ने उसे इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया। इसके बाद वहां भी अल्पसंखयकों का ऐसा उत्पीड़न हुआ कि 1971 में कुल आबादी में हिन्दुओं की जो आबादी 20 प्रतिशत से अधिक थी वह घटकर 8 प्रतिशत के आसपास रह गयी है। यदि पाक और बांग्लादेश ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति अपने वादे निभाने होते तो शायद नागरिकता अधिनियम को संशोधित करने की जरूरत ही नहीं पडती।

मुस्लिम समाज के नेताओं – धर्मगुरूओं को यह सच स्वीकार करना चाहिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में वास्तव में अल्पसंख्यकों का उत्पीडन हुआ है। उन्हे ऐसे हिन्दू, सिख, बौद्ध आदि भाई – बहनों का स्वागत करना चाहिए, साथ ही पाकिस्तान और बांग्लादेश को यह हिदायत देनी चाहिए कि इस्लामी राष्ट्र होते हुए भी वे अपने अल्पसंख्यकों के साथ प्यार से पेश आएँ। मुस्लिम नेताओं और धर्मगुरूओं ने इसकी अनदेखी की और अभी भी कर रहे हैं। यदि सी ए ए का मामला मात्र हिन्दु – मुस्लिम का मुद्दा होता तो पूर्वी उत्तरप्रदेश में आए नेपाली हिन्दू, तिब्बत से आए बौद्ध और श्रीलंका से आए तमिल हिन्दुओं को भी सी ए ए में प्राथमिकता से स्थान मिलता, जो कि नहीं मिला। यह इसलिए नहीं मिला, क्योकि ये भारत से अलग होकर बने देश है।

निष्कर्ष

सी ए ए को समझना और आसान होता यदि सरकार हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई न लिखते हुए केवल पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यक लिखते। भारत में खिलाफत आन्दोलन के साथ ही किसी भी किमत पर मुस्लिम समुदाय को साधने की जो प्रक्रिया प्रारम्भ हुई वह स्वतन्त्रता के बाद भी जारी रही। बाद में इसी का विकृत रूप तुष्टिकरण व वोटबैंक की राजनिति के रूप में सामने आया। एक विशेष वर्ग को वोट बैंक के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। बाद में उन दलों ने भी इसी प्रकार की तकनीक अपनानी शुरू कर दी। वास्तव में यह सोच देश के लिए अत्यन्त घातक सिद्ध हुई है। व्यक्तिगत विरोध व कुण्ठा ग्रस्त विरोध के कारण राष्ट्रीय एकता को क्षति नहीं पहुँचाई जानी चाहिए। किसी भी संकट व विपत्ति से निपटने हेतू नागरिक में राष्ट्रीयता की भावना होनी ही चाहिए। आज का भारत पूरी तरह बदल रहा है। आत्मविश्वास से भरे भारत में आज राष्ट्रीयता का ज्वार हिलोरें ले रहा है। इसे तोडने की कोशिश करने वाली शक्तियों की नियति इस ज्वार में धुमिल हो जाएगी।

सन्दर्भः–

1. आधुनिक भारत का इतिहास : राजीव अहीर
2. इंडियन पॉलिटी : एम. लक्ष्मीकान्त
3. इण्डिया टुडे पत्रिका
4. प्रतियोगिता दर्पण के विभिन्न लेख
5. इण्डियाज स्ट्रगल्स फोर इण्डिपैन्डेन्स : बिपिन चन्द्रा
6. विभिन्न समाचार पत्रों के सम्पादकीय लेख
7. विभिन्न समाचार साइटस्